<u>**कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हमीरपुर।**</u>

<u>**विज्ञप्ति**</u>

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हमीरपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण (चपरासी 02 पद, चौकीदार 01 पद व सफाई कर्मी 01 पर) कुल 04 पदों पर नियत मासिक मानदेय क्रमशः 7000/-, 5000/- व 2000 रुपये पर अस्थायी रूप से 28.02.2019 तक के लिये नियुक्ति जरिये आउटसोर्सिंग की जानी है। तद् हेतु पंजीकृत सेवा प्रदाताओं से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवश्यक योग्यता, नियम व शर्ते जिला हमीरपुर की वेबसाइट https://districts.ecourts.gov.in/hmirpur से डाउनलोड किया जा सकता है।

11.1.19

अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
हमीरपुर

पत्रांकः 01 /जि0वि0से0प्रा0–37ए–2010 दिनांक 11.01.2019

प्रतिलिपिः– जिला सूचना अधिकारी को उक्त का निःशुल्क प्रकाशन अपने स्तर से समस्त समाचार में प्रकाशित कराये जाने हेतु।

प्रतिलिपिः– दीवानी न्यायालय सूचना पट्ट, कलेक्ट्रेट न्यायालय, ए0डी0आर0 भवन के सूचना पट्ट पर चस्पा किये जाने हेतु।

प्रतिलिपिः– सिस्टम अधिकारी, जनपद न्यायालय हमीरपुर को उपरोक्त को जिला न्यायालय, हमीरपुर की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

11.1.19

अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
हमीरपुर

Scanned by CamScanner

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमीरपुर में आउटसोर्सिंग के आधार पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति से सम्बन्धित नियम व शर्तेः–

1– सेवा प्रदाताओ द्वारा उपलबध कराये गये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण (चपरासी 02 पद, चौकीदार 01 पद व सफाई कर्मी 01 पर) कुल 04 पदों पर नियत मासिक मानदेय क्रमशः 7000/–, 5000/– व 2000 रुपये पर अस्थायी रूप से 28.02.2019 तक के लिये नियुक्ति की जायेगी। नियुक्त कर्मचारियों का मानदेय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हमीरपुर द्वारा सेवा प्रदाता के बैंक खाते में ई–पेमेंट/चेक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा ओर सम्बन्धित कर्मचारीगण उक्त सेवा प्रदाता से अपने मानदेय का भुगतान प्राप्त करेंगे।

उपरोक्त अस्थायी पदो पर नियुक्ति हेतु निम्नलिखित न्यूनतम योग्यता होगी–

(1) चपरासी – हाईस्कूल उत्तीर्ण

(2) चौकीदार – कक्षा 8 उत्तीर्ण

(3) सफाई कर्मी – कक्षा 5 उत्तीर्ण

उपरोक्त के अतिरिक्त उसे अच्छे से आचरण, आज्ञाकारी व विनम्र होना अनिवार्य है।

2– सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी का कोई आपराधिक इतिहास ओर उस पर अनैतिक आचरण का कोई आरोप नही होना चाहिएं

3– सेवा प्रदाता द्वारा उपलबध कराया गया कर्मचारी जनपद हमीरपुर का मूल निवासी होना चाहिए।

4– आदेदन निःशुल्क है।

5– आवेदन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हमीरपुर के कार्यालय में दिनांक 25.01.2019 को सायं 04:30 बजे तक जमा किया जा सकेगा।

6– सेवा प्रदाता स्वयं के व्यय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हमीरीपुर से 100 रुपये के स्आम्प पर उपरोक्त आशय का एक इकरारनामा निष्पादित करेंगे, जिसमें नियुक्त व्यक्ति के आज्ञाकारी, विनम्र व विहित योग्यता धारक होने की जिम्मेदारी भी सेवा प्रदाता को लेनी होगी।

7– सेवा प्रदाता की सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर किसी भी समय व किसी भी स्तर पर समाप्त कर दी जायेगी।

11.1.19

अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
हमीरपुर

Scanned by CamScanner